पत्रांक–1/स्था०(1) 03/2013 (खण्ड) – ..../

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

विभागीय आ०सं० 2942, दिनांक 23.09.2016 के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित डॉ० सत्येन्द्र कुमार, भ्र०प०चि०पदा०, गंगापुर, समस्तीपुर का सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 1029, दिनांक 19.01.2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियोजन अवधि समाप्त होने पर आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक और वर्ष के लिए या उक्त पद पर स्थाई पदस्थापन होने तक जो पहले हो, तक के लिए नियोजित किया जाता है। नियोजन समाप्ति की तिथि को नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

2. डॉ० कुमार अपने पूर्व के पदस्थापन पर योगदान करेंगे। योगदान करने के पश्चात् अपने नियंत्री पदाधिकारी से उन्हें पुनः एकरारनामा करना होगा और उन्हें अपने पूर्व के पदस्थापन स्थान पर कार्य करते हुए 29,500/– रूपये की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। संबंधित पशु चिकित्सक को आदेश निर्गत के पश्चात् वास्तविक योगदान की तिथि से ही नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

3. संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सक जो नियोजन अवधि की समाप्ति की तिथि को सेवा में थे, का योगदान नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। डॉ० कुमार अपने नियंत्री पदाधिकारी के साथ निर्धारित विहित प्रपत्र में एकरारनामा करेंगे।

4. डॉ० कुमार संविदा पर पुनर्नियोजित पशु चिकित्सक आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर संविदा पर पुनर्नियोजित पशु चिकित्सक का योगदान के तिथि की समाप्ति के तुरंत बाद विभाग को योगदान दिये गये संविदा पर पुनर्नियोजित पशु चिकित्सक की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18.07.2007 की कंडिका–10 के आलोक में संविदा पर पुनर्नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होगें। संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।

ह0/–

(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 1/ स्था०(1) 03/2013 (खण्ड) – पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 1/ स्था०(1) 03/2013 (खण्ड) – पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 1/ स्था०(1) 03/2013 (खण्ड) – 4185 पटना – 15, दिनांक – 29/12/17

प्रतिलिपि – विभागीय माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार,पटना के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर/संबंधित पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, विभागीय बजट/योजना,पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ विभागीय आई०टी० मैनेजर, पटना को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/17

सरकार के अवर सचिव।

D Drive- Birendra-1 All Doctor CONTACT Doctor Appointment-341+38+1 (Adesh Folder)